

**कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
**सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।**

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स: (0551) 2580020

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/UPLC में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन-लाइन प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम निविदा दिनांक-23.09.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दिनांक-30.09.2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक-01.10.2019 को अपराह्न 3.00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आवृत्त धनराशि (₹ लाख में) जी०एस०टी० एवं तैवर सेस अतिरिक्त	घरेलू धनराशि (₹ लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यकाल	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	गीडा सेक्टर-05 नए गोरखपुर आवासीय योजना में ब्लॉक में हाउसड्रीयाल का विन्यास कार्य।	17.81	1.781	(निविदा मूल्य + जी०एस०टी०) ₹० 1770.00	8 माह	बी एवम् सी	ऑन-लाइन
2	गीडा परिसर के सेक्टर-15 में आंतरिक मार्ग पर सी०सी० रोड के चौड़ीकरण सुधुड़ीकरण एवम् आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	341.65	34.165	(निविदा मूल्य + जी०एस०टी०) ₹० 2850.00	8 माह	ए (कॉफीट मिक्स प्लान्ट)	ऑन-लाइन

नोट- बिड डोक्यूमेंट तथा समस्त विस्तृत शर्तों सहित निविदा <http://etender.up.nic.in> के ई-पोर्टल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के साईट पर दिखायी देगी एवं उसी पर अपलोड एवं डाउन लोड की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त दिनांक-28.09.2019 तक कोई भी सुद्धि होने पर सुद्धि पत्र <http://etender.up.nic.in> के ई-पोर्टल तथा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड कर दी जायेगी।

(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक-1009/अभि०नि०-6/निविदा (सि०)/गीडा/2018-19 दिनांक-2/- अगस्त, 2019  
प्रतिलिपि-

- 1-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को सूचनार्थ।
- 2-जन सम्पर्क अधिकारी/प्रबन्धक (सम्बन्धित) गीडा को एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- 3-निविदा समिति के सदस्यों वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), महा प्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5-श्री वृजेश कुमार अग्रहरी, सहायक प्रबन्धक (सिविल)/सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को इन्हें आशय से प्रेषित कि <http://etender.up.nic.in> के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर व गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6-गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 7-सम्बन्धित पत्रावली।

(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
**सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।**

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स: (0551) 2580020

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा UPLC/गीडा में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन-लाईन प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम से दिनांक-23-09-2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 30.09.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक-01.10.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगमन धनराशि (रु० लाख में) जी०एस०टी० एवं लेबर सेस अतिरिक्त	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यवाधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा सेक्टर-05, न्यू गोरखपुर आवासीय योजना में क्लब के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	17.81	1.781	(निविदा मूल्य +जी०एस०टी०) रु० 1770.00	6 माह	B & C	ऑन-लाईन

**नियम एवं शर्तें :-**

- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी०डी० के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा तथा पर्फार्मेन्स सिक्योरिटी/घरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक हो एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता निविदा तिथि से 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक निविदादाता को रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
- लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-836/23-7-17-176(सा०)/06 दिनांक-08 जून, 2017 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार टेण्डर/कार्यों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जोएसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो०नि०वि० अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- समान प्रकृति का एक कार्य निविदा मूल्य का 75 प्रतिशत धनराशि का विगत 3 वर्ष में अथवा वर्तमान वर्ष में सिंगल बाण्ड से पूर्ण किया होना अनिवार्य है। जिसका सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभाव प्रमाण पत्र के प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगमन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई०टी०आर० तथा नवीनतम वैध घरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पर्फार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति जमानत धनराशि जप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी पर्फार्मेन्स सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।

- J). निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को ठेकेदार/फर्म द्वारा स्वयं अपने खर्च पर दूर कराने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- K). ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुये) अनुबन्धित धनराशि का 1 प्रतिशत अथवा अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार दण्ड शुल्क लगाते हुए समय वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- L). अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।
- M). अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- N). ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य की पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति के संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- P). निविदा द्वारा सलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- Q). निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- R). ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।
- S). किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- T). नियमानुसार जी0एस0टी0 की देयता निविदादाता की होगी।
- U). निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत ही निविदा में दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।
- V). उपरोक्त के अतिरिक्त निविदाकार को लोक निर्माण विभाग एवम् आई0टी0बी0 के नियम एवम् शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।


(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक-1898/अभि0नि0-6/निविदा (सि0)/गीडा/2019-20

दिनांक- 2/- अगस्त, 2019

प्रतिलिपि-

- 1-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को सूचनार्थ।
- 2-निविदा समिति के सदस्यों वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), महा प्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3-प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-श्री वृजेश कुमार अग्रहरी, सहायक प्रबन्धक (सिविल)/सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को इस आशय से प्रेषित कि <http://etender.up.nic.in> के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर व गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5-गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
**सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।**

दूरभाष- (0551) 2580010, 2580090 फ़ैक्स: (0551) 2580020

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा UPLC/गीडा में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम से दिनांक- 23.09.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दिनांक- 30.09.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक- 01.10.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि अहर्ता प्राप्त निविदाओं के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रु० लाख में) जी०एस०टी० एवं अंश संस अतिरिक्त	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यकाल	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-15 में आंतरिक मार्ग पर सी०सी० रोड के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	341.65	34.165	(निविदा मूल्य + जी०एस०टी०) रु० 2950.00	8 माह	"ए" (कोईट मिक्स प्लान्ट)	आन-लाईन

नियम एवं शर्तें :-

- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी०डी० के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा तथा पफार्मेन्स सिक्वोरिटी/धरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक हो एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता निविदा तिथि से 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक निविदादाता को रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा निविदा के साथ कोईट मिक्स प्लान्ट स्थापना का ऑनरशिप प्रपत्र/पार्टनरशिप की पंजीकृत डीड संलग्न करना अनिवार्य है।
- लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-836/23-7-17-176(सा०)/06 दिनांक-08 जून, 2017 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार टेण्डर/कार्यो में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियों, गैमेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधो अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो०नि०वि० अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा हेतु समान प्रकृति का 3 कार्य निविदा मूल्य का 40 प्रतिशत धनराशि का अथवा 2 कार्य 50 प्रतिशत धनराशि का विगत 3 वर्ष में अथवा वर्तमान वर्ष में सिंगल बाण्ड से पूर्ण किया होना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक कार्य का मूल्य रु० 75.00 लाख से कम का न होना चाहिए अथवा एक कार्य निविदा मूल्य का 75 प्रतिशत धनराशि का विगत 3 वर्ष में अथवा वर्तमान वर्ष में सिंगल बाण्ड से पूर्ण किया होना अनिवार्य है। जिसका सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभाव प्रमाण पत्र के प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई०टी०आर० तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पफार्मेन्स सिक्वोरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी पफार्मेन्स सिक्वोरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

- H) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- J) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।
- K) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को ठेकेदार/फर्म द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर दूर कराने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- L) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुये) अनुबन्धित धनराशि का 1 प्रतिशत अथवा अभियन्त्रण अनुभाग की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार दण्ड शुल्क लगाते हुए समय वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- M) अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।
- N) अख्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- P) ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य की पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति के संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- Q) निविदा द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- R) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- S) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।
- T) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- U) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
- V) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत ही निविदा में दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।
- W) उपरोक्त के अतिरिक्त निविदाकार को लोक निर्माण विभाग एवं आ0टी0बी0 के नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक:-1008/अभि0नि0-6/निविदा (सि0)/गीडा/2019-20

दिनांक-21-सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि-

- 1-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को सूचनार्थ।
- 2-निविदा समिति के सदस्यों वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), महा प्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3-प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-श्री बृजेश कुमार अग्रहरी, सहायक प्रबन्धक (सिविल)/सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को इस आशय से प्रेषित कि <http://etender.up.nic.in> के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर व गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5-गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी